सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 05.09.2026

- **"ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना दुद्धी पुलिस की बड़ी कार्रवाई**
- **अन्तर्राज्यीय डोडा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 02 शातिर तस्कर गिरफ्तार**
- **कार की पिछली सीट में छिपाकर ले जाया जा रहा 01 कुन्तल 38 किलो 538 ग्राम अवैध डोडा बरामद**
- **अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त आर्टिका कार सहित 02 मोबाइल फोन बरामद**
- **वाहन सहित कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये-**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में **"ऑपरेशन शुद्धि"** के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी **श्री विनय प्रभाकर साहनी** के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना दुद्धी **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** के कुशल नेतृत्व में थाना दुद्धी पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।।

थाना दुद्धी पुलिस टीम द्वारा **आज दिनांक 05.09.2026 को समय लगभग 09.45 बजे** कार्रवाई करते हुए **रजखड़ घाटी, दुद्धी में** एक आर्टिका कार संख्या UP16-GT4953 से 09 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 01 कुन्तल 38 किलो 538 ग्राम अवैध डोडा बरामद करते हुए **02 शातिर अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त आर्टिका कार एवं 02 मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 05.09.2026 को प्रभारी निरीक्षक दुद्धी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मय पुलिस टीम **रजखड़ तिराहे पर क्षेत्र** में अपराध/अपराधियों की रोकथाम एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विंढमगंज की ओर से एक सफेद रंग की **आर्टिका कार संख्या UP16-GT4953** आ रही है, जिसमें संदिग्ध मादक पदार्थ लदा है तथा वाहन हाथीनाला की ओर जाने वाला है।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ समय बाद उक्त सफेद रंग की आर्टिका कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक द्वारा कार को रोकने के बजाय तेज गति से **रजखड़ घाटी, हाथीनाला मार्ग की ओर भगाने** का प्रयास किया गया।

पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार का पीछा किया गया तथा दूरभाष के माध्यम से थाना दुद्धी पर मौजूद पुलिस बल को भी वाहन रोकने हेतु सूचित किया गया। थाना पुलिस द्वारा **रजखड़ घाटी दुद्धी में चढ़ाई से पूर्व मोड़** पर कार को रोक लिया गया। कार चालक एवं उसके बगल में बैठे व्यक्ति द्वारा वाहन से उतरकर भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके पर पकड़ लिया गया।

कृत कार्यवाही एवं बरामदगी—

पुलिस टीम द्वारा **आर्टिका कार संख्या UP16-GT4953** की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट निकालकर रखी गई **09 प्लास्टिक की बोरियों** में रखे **कुल 01 कुन्तल 38 किलो 538 ग्राम अवैध डोडा** बरामद हुआ।

बरामद डोडा से भरी सभी 09 बोरियों को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार सील किया गया। अभियुक्तों की जामा तलाशी में **02 अदद एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन** बरामद हुए। अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त **आर्टिका कार** को भी पुलिस कब्जे में लिया गया। बरामदगी के संबंध में **थाना दुद्धी पर मु0अ0सं0- 250/2026 धारा 8/18/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर **चालक अनूप साहू** द्वारा बताया गया कि वह अपने **साथी राहुल मौर्या** के साथ उक्त आर्टिका कार से **झारखण्ड के डाल्टेनगंज क्षेत्र से डोडा लेकर बरेली** जा रहा था। अभियुक्त के अनुसार डोडा की सप्लाई के संबंध में पूर्व से ही कुछ व्यक्तियों से बातचीत एवं सौदेबाजी तय थी। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दोनों लोग **दिनांक 02.09.2026 को बरेली से बिहार के रास्ते डाल्टेनगंज, झारखण्ड** गए थे, जहां उन्हें डोडा से भरी 09 प्लास्टिक की बोरियां उपलब्ध कराई गई थीं, जिन्हें **आर्टिका कार की पिछली सीट निकालकर** उसमें रखा गया था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि उक्त माल को लेकर वे **दुद्धी के रास्ते सोनभद्र होते हुए बरेली** जा रहे थे।

अभियुक्त द्वारा डोडा की खरीद-फरोख्त एवं परिवहन में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी दी गई है। पूछताछ में प्रकाश में आए अन्य व्यक्तियों एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क के संबंध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. **अनूप साहू पुत्र दीनानाथ,** उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी नई बस्ती खलीलपुर रोड, थाना सीबीगंज, जनपद बरेली।
2. **राहुल पुत्र छत्रपाल मौर्या,** उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम नन्दोसी, थाना सीबीगंज, जनपद बरेली।

अभियुक्त अनूप साहू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 135/2022 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 थाना कलेक्टर बुकगंज जनपद बरेली।
2. मु0अ0सं0- 532/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 थाना कलेक्टर बुकगंज जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरण—

1. 09 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 01 कुन्तल 38 किलो 538 ग्राम अवैध डोडा (अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख रुपये)
2. अवैध डोडा के परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद आर्टिका कार संख्या UP16-GT4953 (अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपये)
3. दो अदद एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन।

(कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये)

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

1. प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
2. व0उ0नि0 संजय सिंह, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 हरिकेश राम आजाद, उ0नि0 रामसजीवन, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 राजेश सिंह, का0 शिवम अहिरवार, का0 अरविन्द यादव, का0 सौरभ पाण्डेय, का0 सुनील सरोज, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।